सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश 34 से 38: अध्यादेश से अधिनियम तक

संविधान, न्यायपालिका और शासन | समाचार संदर्भ: 2 जून 2026 | प्रकाशित: 17 अक्टूबर 2026

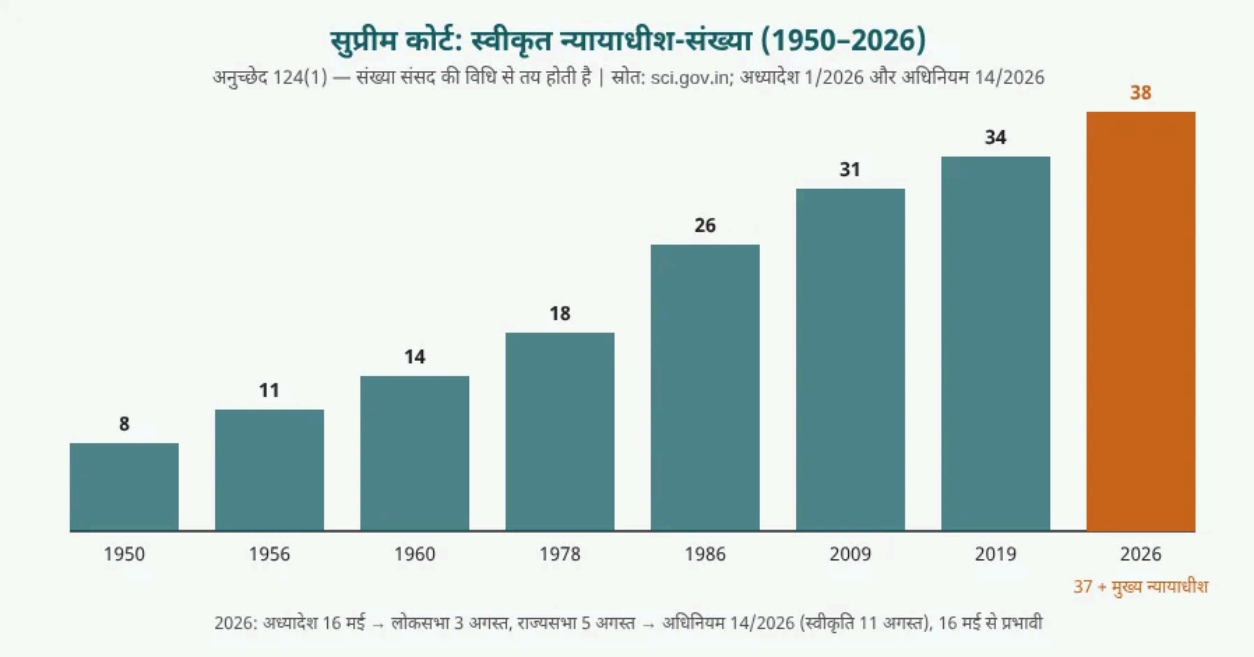
16 मई 2026 को अध्यादेश से सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 (मुख्य न्यायाधीश सहित 38) की गई; 2 जून को पाँच नए न्यायाधीशों ने शपथ ली और कार्यरत संख्या 37 हुई। मानसून सत्र में संसद ने अध्यादेश की जगह अधिनियम बना दिया — जिसे 16 मई से ही प्रभावी माना गया।

खबरों में क्यों

सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश 2026 (अध्यादेश संख्या 1/2026) राष्ट्रपति द्वारा 16 मई 2026 को अनुच्छेद 123(1) के तहत जारी हुआ — 1956 के अधिनियम की धारा 2 में 'तैंतीस' के स्थान पर 'सैंतीस' प्रतिस्थापित किया गया, तत्काल प्रभाव से (गज़ेट पाठ)। 2 जून 2026 को पाँच नए न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष शपथ ली — कार्यरत संख्या 37, एक पद रिक्त। वृद्धि का प्रस्तावित उद्देश्य 93,000 से अधिक लंबित मामले और संविधान बेंचों के अधिक आयोजन से जुड़ा बताया गया। बाद में मानसून सत्र में: विधेयक लोकसभा में 3 अगस्त 2026 को (विपक्षी विरोध के बीच बिना बहस) और राज्यसभा में 5 अगस्त को पारित हुआ; राष्ट्रपति की स्वीकृति 11 अगस्त को मिली — अधिनियम संख्या 14/2026, जो 16 मई 2026 से प्रभावी माना गया (न्याय विभाग का प्रामाणिक पाठ)।

अनुच्छेद 124(1) और अध्यादेश-शक्ति: संख्या कैसे बदलती है?

अनुच्छेद 124(1) कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और संसद द्वारा विधि से तय की गई संख्या में अन्य न्यायाधीश होंगे — यानी संख्या-निर्धारण संसद का क्षेत्र है। 1956 के अधिनियम से यह क्रम है (sci.gov.in): 1950 में 8, 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2009 में 31, 2019 में 34 — और 2026 में 38। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को सत्र न चलने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, पर अध्यादेश को संसद के पुनः सम्मिलन के बाद दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना अनिवार्य है और छह सप्ताह बाद वह समाप्त हो जाता है (अनुच्छेद 123(2)) — इसलिए अध्यादेश-मार्ग असाधारण माना जाता है; 2009 और 2019 की वृद्धि सामान्य विधेयकों से हुई थी।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मुख्य तथ्य

अध्यादेश का पाठ: गज़ेट अधिसूचना (16 मई 2026) में केवल एक संशोधन: 1956 अधिनियम की धारा 2 में 'तैंतीस' के स्थान पर 'सैंतीस' — अर्थात मुख्य न्यायाधीश को छोड़ अधिकतम 37 न्यायाधीश, कुल 38; अध्यादेश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ।

नियुक्तियाँ: 2 जून 2026 को पाँच नए न्यायाधीश शपथ लेकर बैठे; कार्यरत संख्या 37, एक पद रिक्त रहा; नियुक्तियों से क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और लैंगिक विविधता में सुधार की भी अपेक्षा जताई गई (2 जून 2026)।

अध्यादेश से अधिनियम: सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में 3 अगस्त (रिपोर्टों के अनुसार विपक्षी विरोध के बीच बिना बहस) और राज्यसभा में 5 अगस्त को पारित; राष्ट्रपति-स्वीकृति 11 अगस्त; अधिनियम 14/2026 को 16 मई 2026 से प्रभावी माना गया — अध्यादेश का पूर्ण प्रतिस्थापन (न्याय विभाग, अधिनियम पाठ)।

लंबितता का पैमाना: वृद्धि का औचित्य 93,000 से अधिक लंबित मामलों और संविधान बेंचों के कम आयोजन से जोड़ा गया — पाँच और उससे अधिक न्यायाधीशों की बेंचें केवल तब बन पाती हैं जब पर्याप्त संख्या उपलब्ध हो।

इतिहास में 2026 की खासियत: पहली बार संख्या-वृद्धि अध्यादेश से शुरू हुई; 1956 से 2019 तक सभी छह वृद्धियाँ सामान्य संसदीय विधेयकों से हुईं (sci.gov.in) — 2026 की प्रक्रिया इसी लिए प्रक्रिया-विश्लेषण का मामला बनती है।

संख्या-वृद्धि से आगे की बहस क्या है?

लंबितता और संविधान बेंच: अधिक न्यायाधीश = अधिक बेंचें = अधिक निपटारा; और बड़े संवैधानिक प्रश्नों के लिए संविधान बेंचों का नियमित आयोजन संभव — जिनके अभाव में महत्वपूर्ण प्रश्न वर्षों टलते हैं। यह तर्क 2009 (31) और 2019 (34) की वृद्धि में भी रहा।

अध्यादेश-मार्ग की प्रक्रिया-चिंता: पिछली वृद्धियाँ विधेयक से हुईं; 2026 में अध्यादेश से शुरुआत और फिर लोकसभा में बिना-बहस पारित होना विधायी विचार-विमर्श की गुणवत्ता का प्रश्न उठाता है — मेंस में इसे अध्यादेश-शक्ति के 'आकस्मिक' बनाम 'सुविधाजनक' प्रयोग की बहस से जोड़ें।

संख्या बनाम उत्पादकता: अध्ययन और अनुभव दिखाते हैं कि केवल संख्या से backlog नहीं घटता: नियुक्ति-गति (collegium-सरकार तनाव), उच्च न्यायालयों की रिक्तियाँ, प्रक्रिया-सुधार, तकनीक और केस-मैनेजमेंट उतने ही निर्णायक हैं। एक पद नियुक्तियों के बाद भी रिक्त रहा — संख्या-स्वीकृति और वास्तविक भर्ती में अंतर है।

प्रतिनिधित्व का आयाम: वृद्धि के साथ क्षेत्रीय और लैंगिक विविधता की अपेक्षा जुड़ी है — सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या ऐतिहासिक रूप से अत्यंत कम रही है; नई नियुक्तियों में इस पहलू की निगरानी न्यायिक विविधता-बहस का हिस्सा है।

विश्लेषण और आगे की राह

तीन चरणों की यह प्रक्रिया (अध्यादेश 16 मई → नियुक्तियाँ 2 जून → अधिनियम अगस्त) न्यायिक प्रशासन और विधायी प्रक्रिया दोनों के अध्ययन का मामला है। आगे देखने योग्य: (1) रिक्त 38वाँ पद और भविष्य की नियुक्तियों की गति — collegium प्रणाली की पारदर्शिता-बहस से जुड़ा; (2) संविधान बेंचों का वास्तविक आयोजन — संख्या-वृद्धि का वादा तभी पूरा होगा; (3) उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या और रिक्तियों का हाल — सुप्रीम कोर्ट की वृद्धि का लाभ तब तक आंशिक रहेगा। नीति-दृष्टि से यह घटनाक्रम 'संस्थागत क्षमता-विस्तार' का उदाहरण है, पर प्रक्रिया (अध्यादेश, बिना-बहस पारित होना) यह भी दिखाती है कि क्षमता-निर्णयों में विधायी विचार-विमर्श कैसे सीमित होता है।

अवधारणा में अंतर

'स्वीकृत संख्या' (sanctioned strength) कानून में अधिकतम पद हैं — 2026 में 37+CJI = 38; 'कार्यरत संख्या' (working strength) वास्तव में पदस्थ न्यायाधीश — 2 जून 2026 को 37, एक रिक्ति। दोनों का अंतर नियुक्ति-गति का सूचक है। इसी तरह 'अध्यादेश' राष्ट्रपति की अंतरिम विधायी शक्ति (अनुच्छेद 123) है जो सत्र न चलने पर और तत्काल आवश्यकता पर जारी होती है, जबकि 'अधिनियम' संसद की सामान्य विधायी प्रक्रिया से बनता है — अध्यादेश की अधिकतम अवधि सीमित, अधिनियम की स्थायी।

मेंस दृष्टि

GS-II: संविधान (अनुच्छेद 123, 124), न्यायपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली, विधायी प्रक्रिया। उत्तर में संख्या-वृद्धि का क्रम (8→38), अध्यादेश-बनाम-अधिनियम मार्ग, लंबितता के आंकड़े (93,000+) और collegium-पारदर्शिता बहस को जोड़ें; 'स्वीकृत बनाम कार्यरत संख्या' का भेद सटीकता देता है।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना न्यायिक लंबितता का आवश्यक, परंतु अपर्याप्त समाधान है। 2026 में सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृत संख्या वृद्धि और उसकी अध्यादेश-मार्गी प्रक्रिया के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: 93,000+ लंबितता और 2026 की वृद्धि।

मुख्य भाग में: आवश्यकता के तर्क: बेंचें, संविधान बेंच, निपटारा; अपर्याप्तता: नियुक्ति-गति, प्रक्रिया, उच्च न्यायालय, केस-मैनेजमेंट; प्रक्रिया-विश्लेषण: अध्यादेश 16 मई, बिना-बहस पारित होना, अधिनियम 14/2026; सुझाव।

निष्कर्ष में: संख्या-वृद्धि को नियुक्ति, केस-मैनेजमेंट और उच्च न्यायालयों की क्षमता के साथ जोड़ें। संविधान बेंचों के आयोजन और निपटारे में वास्तविक सुधार से परिणाम परखें; स्वीकृत पदों को कार्यरत न्यायाधीश न मानें। अध्यादेश से अधिनियम बनने की वैध प्रक्रिया और सार्थक संसदीय विचार-विमर्श, दोनों की जरूरत रखें।

स्रोत

- अध्यादेश गज़ेट: सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश 2026, 16 मई 2026
- The Hindu: पाँच नए न्यायाधीशों ने ली शपथ, 2 जून 2026
- न्याय विभाग: संशोधन अधिनियम 2026 (अधिनियम 14/2026) — LS 3 अगस्त, RS 5 अगस्त, स्वीकृति 11 अगस्त
- सुप्रीम कोर्ट का इतिहास (स्वीकृत संख्या का क्रम): sci.gov.in
- The Hindu: लोकसभा में विधेयक बिना बहस पारित, 3 अगस्त 2026

जाँच-टिप्पणी: अध्यादेश का गज़ेट-पाठ और अधिनियम 14/2026 का प्रामाणिक पाठ (न्याय विभाग) दोनों मूल से पढ़े गए; स्वीकृत संख्या का ऐतिहासिक क्रम sci.gov.in से सत्यापित। नियुक्ति-विवरण और लंबितता-आंकड़ा (93,000+) The Hindu की रिपोर्ट से हैं।

यह भी पढ़ें: कॉलेजियम में पारदर्शिता: नियुक्ति-प्रणाली की बहस | अनुच्छेद 142: पूर्ण न्याय की शक्ति और प्रक्रियागत जवाबदेही।

याद रखें: संख्या 38 हो गई, पर वादा तभी पूरा होगा जब संविधान बेंचें वास्तव में चलें और रिक्तियाँ नियमित भरें। प्रक्रिया भी संदेश है: अध्यादेश से शुरू हुई वृद्धि संसद में बिना बहस पूरी हुई — क्षमता-निर्णयों में भी विचार-विमर्श अपेक्षित है।